छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 224/2006

श्री कुलजीत सिंह, ... आवेदक
ए–9, सूर्या विहार,
भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... अनावेदक
कार्यालय, आयुक्त नगर निगम
भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

:: आदेश ::
(24 अगस्त 2006)

श्री कुलजीत सिंह अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकारी नगर निगम, भिलाई से पत्र दिनांक 21.10.2005 के द्वारा कुछ जानकारियां चाही थी। निर्धारित अवधि में नगर निगम के द्वारा जानकारी प्राप्त न होने के फलस्वरूप अपीलार्थी ने दिनांक 31.03.06 को कमिश्नर नगर निगम को प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपील में निर्णय न होने के कारण अपीलार्थी ने द्वितीय अपील प्रस्तुत की। प्रतिअपीलार्थी नगर निगम को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में नगर निगम के द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी को दिनांक 23.03.06 को 39 पृष्ठों की जानकारी देने हेतु अभिलेख शुल्क 78/– रूपये देने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी ने 23.03.06 को शुल्क जमा किया। तदानुसार 25.03.06 को अपीलार्थी को जानकारी दी गई। अपीलार्थी ने दिनांक 03.04.06 को प्रथम अपील आयुक्त नगर निगम को प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 02.05.06 को सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिये कि अपीलार्थी को वांछित अभिलेख उपलब्ध करायें। भवन अधिकारी नगर निगम के द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी को कौन सा दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित होकर जानकरी दें तो उन्हें जानकारी प्रदान की जा सकती है। अपीलार्थी श्री कुलजीत सिंह को नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होने के लिए दिनांक 15.05.06 को पत्र जारी किया गया। उनके द्वारा वांछित जानकारी साठ पृष्ठ की 29.07.2006 को अपीलार्थी को दी गई। अपीलार्थी ने शासन को शिकायत की कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि उनकी शिकायत के संबंध में नगर पालिक निगम अथवा कलेक्टर, दुर्ग के द्वारा कोई कार्यवाही विधि अनुरूप अपेक्षित नहीं है। भवन में दरार एवं क्षतिग्रस्त कारणों को लेकर

अपीलार्थी सिविल न्यायालय में कार्यवाही कर सकते हैं। नगर निगम दुर्ग के द्वारा बहस के समय यह अवगत कराया गया कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, भिलाई दुर्ग के द्वारा भूखंड क्रमांक ए–25 (पुराना नं), ए–9 (नया नं) के लिए बिल्टेक इंजीनियरिंग के नाम पर दिनांक 10.08.89 को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अपीलार्थी ने उक्त भूखंड पर निर्मित भवन को दिनांक 17.07.06 को जिला पंजीयक, दुर्ग के यहां पंजीयन कराकर क्रय किया। उक्त पंजीयक के अभिलेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि विक्रित मकान पक्का, बिना कालम सिस्टम, बिना टाईल्स मोजाईक के भूतल क्षेत्र एवं प्रथम तल पर निर्मित है। भवन पंजीयन के पश्चात् श्रीमती राजवंश कौर एवं कुलजीत सिंह के द्वारा आर्किटेक्ट पूर्णता प्रमाण पत्र एवं विद्युत प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 12.03.2001 को भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा विद्युत संयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र 22.05.2001 को जारी किया गया। सूचना अधिकारी नगर निगम का तर्क यह है कि अपीलार्थी भवन निर्माण में हुई त्रुटियों का उल्लेख कर रहा है। अपीलार्थी के द्वारा ही भवन देखकर क्रय किया गया था तथा उसने निगम से पूर्णता का प्रमाण पत्र भी लिया है। अब भवन पूर्णता के संबंध में शिकायत करने का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी का यह मत है कि उसके भवन के डिजाइन में त्रुटि है। उसका यह कहना है कि भवन निर्माण में त्रुटि की गई है। अतः नगर निगम इसको सुधरवाये।

मेरे द्वारा अपीलार्थी एवं जन सूचना अधिकारी, नगर निगम को सुना गया तथा दोनों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने प्रथम अपील दिनांक 31.03.06 को प्रस्तुत की। दिनांक 05.04.06 को अतिरिक्त जानकारी भी दी गई। अतिरिक्त जानकारी भी अपील में अपीलार्थी के द्वारा अपीलीय अधिकारी को दी गई। दिनांक 26.04.06 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष तर्क प्रस्तुत किये गये। अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 02.05.06 को आदेश पारित किया। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा मांगी जाने पर सूचना अधिकारी नगर निगम के द्वारा आवेदक के भवन निर्माण से संबंधित कार्यालय में उपस्थित वांछित जानकारी दी जा चुकी है। अपीलार्थी का मुख्य आरोप यह है कि उसका भवन निर्माण दोषपूर्ण है। भवन क्रय करते समय यह आवेदक का कर्तव्य था कि वह यह इस बात की जांच करें कि उसके द्वारा क्रय किये जाना वाला भवन डिजाइन के अनुसार है अथवा नहीं। अपीलार्थी ने स्वयं नगर निगम से भवन निर्माण का पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया। उस आवेदन में उसने भवन निर्माण में कोई त्रुटि होने का उल्लेख नहीं किया है। अपीलार्थी के द्वारा क्रय किये गये भवन की रजिस्ट्री की प्रति जो कि नगर निगम के द्वारा प्रस्तुत की गई है, से भी यह स्पष्ट है कि भवन पक्का बिना कालम सिस्टम तथा बिना टाईल्स मोजाईक प्रथम तल एवं भूतल पर स्थित है। यह क्रेता एवं विक्रेता के बीच का अनुबंध है। यदि अपीलार्थी को यह प्रतीत होता है कि विक्रेता ने शर्तो के अधीन भवन का निर्माण नहीं किया है तथा उसके साथ धोखाधड़ी की गई तो वह विधिवत् न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर सकता है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग भवन के निर्माण में हुई त्रुटि को सुधरवाने का आदेश देने के लिए अधिकृत नहीं है। अपीलार्थी को नगर निगम के द्वारा पर्याप्त वांछित सूचनायें दी जा चुकी हैं। सूचना अधिकारी नगर निगम के द्वारा तर्क के समय आयोग के समक्ष यह भी आश्वासन दिया गया कि अपीलार्थी नगर निगम कार्यालय में उपस्थित

होकर अभिलेखों को देख सकता है तथा यदि वह किसी अभिलेख की प्रति चाहता है तो विधि अनुसार उसे प्रति उपलब्ध करायी जाने में नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलार्थी यदि नगर निगम भिलाई के सूचना अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अतिरिक्त अन्य कोई जानकारी चाहता है तो सूचना अधिकारी नगर निगम भिलाई को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निःशुल्क अभिलेखों का अवलोकन कराया जाये तथा वांछित अभिलेखों के शुल्क की जानकारी देकर शुल्क जमा करने पर प्रदान किये जावें।

उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरांत उपरोक्त निर्देशों के अधीन अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त